



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082023-248160
CG-DL-E-17082023-248160

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3524]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2023/श्रावण 26, 1945

No. 3524]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2023/SHRAVANA 26, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2023

सं. 40/2023-केन्द्रीय कर

का.आ. 3683(अ).—बोर्ड, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (5) में उल्लिखित अधिकारियों को, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित सूचनाओं के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित सूचना प्राप्तकर्ता के संबंध में उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित अधिकारियों को प्रदत्त या उन पर अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है, अर्थात:-

सारणी

क्र.सं.	सूचना प्राप्तकर्ता का नाम और पता	सूचना संख्या और तारीख	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों का नाम	प्राधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मैसर्स यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (यूएसएल), 26वीं मंजिल, ए विंग, मैराथन फुटुरेक्स, एन.एम जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र-400013	37/एडीसी/ सीजीएसटी / एमसी/ आडिट- II/ 2022 दिनांक 24.08 . 2022 फा. सं. सीजीएसटी- ए2/एमयुएम/एफ-22/जीएसटी/ यूनाइटेड स्पिरिट्स/5307/5668/2021/5962 द्वारा जारी	संयुक्त या अपर आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई सेंट्रल आयुक्तालय	संयुक्त या अपर आयुक्त, केन्द्रीय कर, कोलकाता नॉर्थ केंद्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी आयुक्तालय

[फा. सं. सीबीआईसी-20016/16/2023-जीएसटी]

राघवेंद्र पाल सिंह, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2023

No. 40/2023-Central Tax

S.O. 3683(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and section 3 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Board, hereby appoint officers mentioned in column (5) of the Table below to act as the Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on officers mentioned in column (4) of the said Table in respect of notice mentioned in column (2) of the said Table for the purpose of adjudication of notice mentioned in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Name of Noticee and Address	Notice Number and Date	Name of Adjudicating Authority	Name of the Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	M/s United Spirits Ltd. (USL), 26 th floor, A Wing, Marathon Futurex, N.M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra-400013.	37/ADC/CGST / MC/ Audit-II / 2022 dated 24.08.2022 issued vide F.No.CGST-A2/MUM/F 22/GST/United Spirits/5307/5668/2021/5962.	Joint or Additional Commissioner, CGST and Central Excise, Mumbai Central Commissionerate.	Joint or Additional Commissioner of Central Tax, Kolkata North Central Excise and GST Commissionerate.

[F. No. CBIC-20016/16/2023-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director